"कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि"

कृषि वानिकी हेतु

"सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री"

वृक्ष है धन का आगार
सदा उर्वर रखें धरा आधार
कृषि वानिकी का करें अंगीकार
दूर करों दारिद्रय हमार

वन एवं वन्यजीव विभाग, उत्तर प्रदेश

कृषकों हेतु मार्ग–निर्देश

- **परिचय**

➢ कृषकों को उनकी भूमि पर कृषि कार्य के साथ वृक्षारोपण को सहायता देने हेतु भारत सरकार की **"सबमिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री योजना"** प्रदेश में वन विभाग द्वारा लागू की जा रही है।

➢ योजना का उद्देश्य कृषकों की आय वृद्धि, रोजगार सृजन एवं गाँव में हरियाली बढ़ाना है।

- योजना में कृषकों द्वारा उनके **खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण, कृषि भूमि पर कम घनत्व का वृक्षारोपण** एवं **खेतों में फसल के साथ–साथ उच्च घनत्व खण्ड (ब्लॉक) वृक्षारोपण** का प्राविधान है। पौधशाला की स्थापना एवं पौध उगान योजना के अन्तर्गत पौध रोपण के लिए कृषकों को सहायता राशि दी जायेगी।

- **कृषि वानिकी क्या है?**

कृषि वानिकी का अर्थ है "एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजातियों का विविधपूर्व रोपित कर दोनों प्रकार की उपज लेकर आय बढ़ाना।" कृषि वानिकी के अन्तर्गत काष्ठीय बहुवर्षीय प्रजातियां एक ही भूमि पर कृषि फसलों के साथ उगाई जाती हैं। यह पद्धति आर्थिक रूप से लाभप्रद, सामाजिक रूप से स्वीकार्य

तथा समस्त भूमि सुधारक प्रक्रियाओं का समेकित नाम है।

- **कृषि वानिकी क्यों ?**

1. उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर अधिकतम व बहुविधि उत्पाद प्राप्त करने हेतु।
2. कृषि उत्पादन बढ़ाने व आर्थिक उन्नति के साथ रोजगार के प्रत्यक्ष व परोक्ष अवसर प्रदान करने में सहायता करने हेतु।
3. वर्तमान में कृषि कार्य के अयोग्य भूमि के सुधार व उसकी उत्पादकता में वृद्धि हेतु।
4. बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी एवं कुटीर व लघु उद्योगों हेतु कच्चे माल की कमी के निवारण हेतु।
5. उत्पादन की विविधता, प्राकृतिक आपदाओं व अन्न के अधिक उत्पादन के कारण विक्रय मूल्य में कमी से सुरक्षा हेतु।
6. उपलब्ध प्राकृतिक वनों पर जैविक दबाव कम करने हेतु।
7. प्रति ईकाई भूमि से अधिक पैदावार प्राप्त करने व भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हेतु।
8. वृक्षारोपण में वृद्धि कर भूमि एवं जलसंरक्षण व पर्यावरण संतुलन स्थापित करने हेतु।
9. ग्रामीण अंचल में उद्यामियों को प्रोत्साहन देने तथा वन आधारित लघु कुटीर उद्योग की अर्थ व्यवस्था सशक्त करने हेतु।

- **विभिन्न क्षेत्रों में रोपण हेतु उपयुक्त प्रजातियां :–**

क्षेत्र का नाम	ईंधन प्रजाति	चारा पत्ती	इमारती लकड़ी
1. तराई क्षेत्र	बबूल, ढाक, यूकेलिप्टस, जामुन, सु–बबूल, सिद्धा (लेगस्ट्रोमिया पार्वीफ्लोरा), विलायती बबूल, काला सिरस	अरूं, बबूल, बकैन, बेर, कचनार, नीम, सु–बबूल	बबूल, बांस, सागौन, शीशम, नीम, जामुन
2. गाँगेय क्षेत्र (पश्चिमी)	बबूल, अकेसिया आरीकुलीफर्मिस, ढाक, काला सिरस, यूकेलिप्टस, कंजी, विलायती बबूल	अरूं, बबूल, बकैन, बेर, कचनार, नीम, सु–बबूल, काला सिरस	बबूल, बांस, कंजू, आम, सागौन, शीशम, नीम, जामुन
3. गाँगेय क्षेत्र (पूर्वी)	अर्जुन, बबूल, यूकेलिप्टस, इमली, कंजी, सु–बबूल, विलायती बबूल, ढाक	अरूं, बेल, बबूल, बकैन, बेर, कचनार, सु–बबूल, नीम, काला सिरस, सफेद सिरस	बबूल, बांस, कंजू, आम, सागौन, शीशम, नीम, जामुन, महुआ, काला सिरस, कठ सागौन, यूकेलिप्टस
4. विन्ध्य क्षेत्र	बबूल, कर्घई, कंजी, विलायती बबूल, सु–बबूल, सिद्धा, रेऑज, अंजन, बेर, ककोर	बबूल, बेर, कचनार, गूंठी, काला सिरस, सहजन, अंजन	शीशम, काला सिरस, सागौन, महुआ

- **पौधशाला हेतु सहायता धनराशि**

पौधशालाओं की स्थापना एवं पौध उगान (निजी–किसान)–

पौधशाला का नाम	पौध उगान	प्राविधानित धनराशि	सहायता धनराशि
छोटी नर्सरी (0.5 हेक्टेयर)	25,000 पौध/नर्सरी	रू0 10.00 लाख/नर्सरी	रू0 5.00 लाख/नर्सरी
बड़ी नर्सरी (1.0 हेक्टेयर)	50,000 पौध/नर्सरी	रू0 16.00 लाख/नर्सरी	रू0 8.00 लाख/नर्सरी
निजी–किसान द्वारा पौधशाला की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि का 50 प्रतिशत सहायता धनराशि के रूप में दिये जाने का प्राविधान है।			

- **वृक्षारोपण हेतु सहायता धनराशि :–**

➢ योजना में कृषकों द्वारा लगाये गये पौधों की संख्या के अनुसार चार वर्षों तक सहायता धनराशि दी जायेगी।

योजना के अन्तर्गत कृषकों को दी जाने वाली सहायता धनराशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	वृक्षारोपण का प्रकार/ मॉडल	कुल सहायता धनराशि	सहायता धनराशि का वर्षवार विवरण			
			प्रथम वर्ष (40%)	द्वितीय वर्ष (20%)	तृतीय वर्ष (20%)	चतुर्थ वर्ष (20%)
1	**खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण**					
(i)	खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण	रू0 35.00 प्रति पौध	रू0 14.00	रू0 7.00	रू0 7.00	रू0 7.00
2	**कृषि भूमि पर कम घनत्व का वृक्षारोपण**					
(i)	100 पौध प्रति हेक्टेयर से कम	रू0 35.00 प्रति पौध	रू0 14.00	रू0 7.00	रू0 7.00	रू0 7.00
(ii)	100 से 500 पौध प्रति हेक्टेयर	रू0 14,000.00 प्रति हेक्टेयर या रू0 28.00 प्रति पौध	रू0 5600.00 या रू0 11.20	रू0 2800.00 या रू0 5.60	रू0 2800.00 या रू0 5.60	रू0 2800.00 या रू0 5.60
3	**उच्च घनत्व खण्ड (ब्लॉक) वृक्षारोपण**					
(i)	500 से 1000 पौध प्रति हेक्टेयर (3.5मी.X 3.5मी.)	रू0 15,000.00 प्रति हेक्टेयर या रू0 15.00 प्रति पौध	रू0 6000.00 या रू0 6.00	रू0 3000.00 या रू0 3.00	रू0 3000.00 या रू0 3.00	रू0 3000.00 या रू0 3.00
(ii)	1001 से 1200 पौध प्रति हेक्टेयर (3.0मी.X 3.0मी.)	रू0 17,500.00 प्रति हेक्टेयर या रू0 14.60 प्रति पौध	रू0 7000.00 या रू0 5.84	रू0 3500.00 या रू0 2.92	रू0 3500.00 या रू0 2.92	रू0 3500.00 या रू0 2.92
(iii)	1201 से 1500 पौध प्रति हेक्टेयर (2.5मी.X 2.5मी.)	रू0 22,500.00 प्रति हेक्टेयर या रू0 15.00 प्रति पौध	रू0 9000.00 या रू0 6.00	रू0 4500.00 या रू0 3.00	रू0 4500.00 या रू0 3.00	रू0 4500.00 या रू0 3.00
(iv)	1500 पौध प्रति हेक्टेयर से अधिक (2.5मी.X 2.5 मी. से कम)	रू0 25,000.00 प्रति हेक्टेयर	रू0 10000.00	रू0 5000.00	रू0 5000.00	रू0 5000.00

सहायता धनराशि का स्थानान्तरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।

- **लाभार्थी :–**

➢ योजना में सहायता धनराशि का 50% लघु/सीमान्त कृषकों हेतु मात्राकृत है, जिसमें 30% धनराशि महिला लाभार्थी/कृषक हेतु मात्राकृत हैं।

➢ सहायता धनराशि का 16% अनुसूचित जाति तथा 8% अनुसूचित जनजाति (या जनपद में जनसंख्या के समानुपातिक) दिये जाने का प्राविधान है।

- **पंजीकरण :–**

➢ योजना में पंजीकरण हेतु कृषक समीप के वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय या जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

- **कृषकों के दायित्व :–**

➢ गड्ढा खुदान, पौधरोपण, सिंचाई, निराई–गुड़ाई, कीटनाशक, खाद, पौध सुरक्षा एवं देख–रेख।

➢ **कृषि वानिकी हेतु कुछ उपयोगी प्रजातियां :–**

➢ **यूकेलिप्टस :–**

यह तेजी से बढ़ने वाली व सीधी तने वाली प्रजाति है। यूकेलिप्टस का उपयोग इमारती लकड़ी, बल्ली, फर्नीचर, पेटियां, लुग्दी, पल्पवुड, ईंधन, रेआन, पार्टिकल बोर्ड, हार्डबोड आदि बनाने में किया जाता है। जलवायु, मिट्टी, पेड़ की वृद्धि इत्यादि को ध्यान में रखकर यूकेलिप्टस को 6 से 8 वर्ष में काटा जा सकता है। पेड़ों के बीच दो मीटर का अन्तर रखते हुए एक हेक्टेयर (100 मी. X 100 मी. वर्गाकार) भूमि में यूकेलिप्टस के करीब दो सौ पेड़ मेड़ों पर उगाये जा सकते हैं।

➢ **पापलर :–**

यह शीघ्र बढ़ने वाली प्रजाति है। जाड़ों में पापलर की पत्तियां पूरी तरह से झड़ जाती हैं। इसलिए इसे फसलों के साथ आसानी से उगाया जा सकता है। इसका उपयोग कागज और लुग्दी, प्लाईवुड, माचिस, पैकिंग के लिए पेटियां, खेल के सामान, फर्नीचर आदि बनाने के लिए किया जाता है। पापलर 6 वर्ष में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। पेड़ों के मध्य तीन मीटर अंतर रखते हुए एक हेक्टेयर (100 मी. X 100 मी. वर्गाकार) भूमि में पापलर के करीब 130 पेड़ मेंड़ों पर उगाये जा सकते हैं।

➢ **शीशम :–**

शीशम प्रकाष्ठ हर प्रकार के निर्माण कार्य, यथा दरवाजे, खिड़की के फ्रेम, बिजली के स्विच बोर्ड, रेलगाड़ी के डिब्बे, मालगाड़ी के डिब्बे, मूर्तिकारी, नक्काशी आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है।

कृषि वानिकी में शीशम ब्लाक रोपण व अन्य कृषि फसलों के साथ मेड़ों पर लगाया जा सकता है।

शीशम की कतारों के बीच दो वर्षों तक कृषि फसलें उगाई जा सकती है। शीशम के साथ मक्का, सरसों, अरण्डी, चना, मटर, गन्ना और कपास की खेती भी की जा सकती है। शीशम, शुष्क एवं रेतीली जमीन, जहां जल भराव न हो, हेतु उपयुक्त प्रजाति है। जल भराव होने पर मृदा वायु की कमी से शीशम सूख जाता है।

➢ **बांस :–**

डेन्ड्रोकेलामस स्ट्रिक्टस भारत के अधिकांश भागों में पाया जाने वाला बांस है। जो हरा, सीधा, लम्बा और वजन में हल्का होते हुए भी मजबूत होता है। टोकरी, चटाई, टट्टे, धनुष, लाठी, औजारों के हत्थे, बांसुरी आदि बनाने में बांस बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा झोपड़ियों की दीवार तथा छत बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बांस से कागज बनाने के लिए उत्तम लुग्दी प्राप्त होती है। अचार बनाने के लिए इसकी कोपलों का उपयोग किया जाता है।

एक हेक्टेयर भूमि में बांस के लगभग 335 पौधे लगाये जा सकते हैं। यह मानते हुए कि इन पौधों में 90 प्रतिशत परिपक्व होते हैं तक एक हेक्टेयर भूमि से लगभग 300 बांस के पौधे प्राप्त होंगे। बांस के हर एक बीड़े से कम से कम बाईस वर्ष तक सन्धि स्तम्भ प्राप्त होते हैं। धान के पौधों से कीटों का शिकार करने के लिए कीटभक्षी इन्हें आधार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

➢ **आँवला :–**

आँवला एक मध्यम कद का वृक्ष है जिसकी ऊँचाई 08 मीटर से 18 मीटर तक होती है। इसकी डालियां मुलायम होती हैं तथा पत्ते पंखें की तरह संयुक्त होते हैं। आंवले का फल विटामिन 'सी' से भरपूर होता है। इसका फल खाने में, अचार और मुरब्बे तथा च्यवनप्राश बनाने में प्रयुक्त होता है। आंवले का फल चूर्ण औषधि के रूप में उपयोगी होता है। इसकी लकड़ी खेती के औजार बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी अच्छी जलावन व पत्ते

चारे के रूप में तथा खाद बनाने में काम आते हैं। आंवला शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी हो जाता है। अवनत भूमि में इसकी व्यवसायिक खेती में इसे 8 मी. X 8 मी. के अन्तराल (एक हेक्टेयर में 155 पौधे) में रोपित करते हैं। वृक्षों की पंक्तियों के बीच उपलब्ध स्थान में उड़द, मूंग, चना इत्यादि की खेती की जाती है। इसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रोपित करना चाहिए।

➢ **सागौन :–**

सागौन की लकड़ी बहुत अच्छी व टिकाऊ होती है। मजबूती, कम वजन, बेहतर टिकाऊपन के कारण प्रकाष्ठ का प्रयोग निर्माण कार्यों जैसे दरवाजों व खिड़कियों के फ्रेम, फर्नीचर, जहाज व रेलगाड़ियों के डिब्बे आदि के बनाने में किया जाता है।

कृषि वानिकी में कृषि फसलों के साथ सागौन को अधिक लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है। सागौन का रोपण ब्लाक (एक प्रजाति रोपण) अथवा खेतों की मेड़ों पर कृषि फसलों विशेषकर गन्ने के साथ किया जाता है।

- **तकनीकी सहायता :–**

वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा कृषकों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

अभियुक्ति

कृषि वानिकी हेतु आवश्यक जानकारी यथा कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार पौधशाला प्रबन्धन, रोपण प्रजातियों का चयन, वृक्षारोपण तकनीकी, कृषि वानिकी उपज विपणन, विभिन्न वृक्षों के विभिन्न भागों का उपयोग आदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित पौधशाला एवं वृक्षारोपण हैण्डबुक, 2019 को संदर्भित कर प्राप्त किया जा सकता है।